



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5109]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2018/पौष 7, 1940

No. 5109]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2018/PAUSHA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6364(अ).—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की मदों की आयात नीति में एतद्द्वारा निम्नवत संशोधन करती है :—

एन्क्रिप्ट कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीति की स्थिति	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीति की स्थिति
07131000	मटर (पाइसम सैटाइवम) पीली मटर, हरी मटर, दूत मटर और कास्पा मटर सहित	प्रतिबंधित	दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	दिनांक 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक प्रतिबंधित

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14/3/2018-ईपी (एग्री-III)]

संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी 2017 के का.आ. संख्या 172 (अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-20 के तहत जारी की गई थी और उसमें पिछला संशोधन दिनांक 28 सितम्बर 2018 के का.आ. संख्या 5016 (अ) के तहत दिनांक 28 सितंबर 2018 की अधिसूचना सं. 37/2015-20 के तहत किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2018

S.O. 6364(E).—In exercise of powers conferred by section 3 of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015—2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy of items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonised System), 2017, Schedule - 1 (Import Policy), as under:—

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing Policy condition	Revised Import Policy	Revised Policy condition
07131000	Peas (<i>Pisum sativum</i>) Including Yellow peas, Green peas, Dun Peas and Kaspas Peas.	Restricted	Restricted for the period from 01 st October, 2018 to 31 st December, 2018.	Restricted	Restricted for the period from 01 st January, 2019 to 31 st March, 2019

2. This notification shall come into force with effect from 01st January, 2019.

[F. No. 14/3/2018-EP (Agri-III)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification No. 37/2015-2020, dated the 28th September, 2018 *vide* number S.O. 5016(E), dated the 28th September, 2018.